प्रेस नोट - दिनांक 21.10.2026

थाना कोतवाली सदर, जनपद उन्नाव

उन्नाव पुलिस की त्वरित कार्रवाई: हाईवे किनारे बॉक्स में मिले शव की घटना का 12 घण्टे के अंदर खुलासा, पत्नी सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार व एक बाल अपचारी पुलिस संरक्षण में

सीसीटीवी एवं एनपीआर कैमरों की मदद से हत्या का खुलासा, शव ठिकाने लगाने में प्रयुक्त लोडर बरामद

अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली सदर पुलिस, स्वाट एवं सर्विलांस टीम द्वारा 12 घण्टे के अंदर हत्या की घटना का खुलासा करते हुए पति की हत्या करने वाली पत्नी व 02 अभियुक्तों को आलाकत्ल बट्टा/लोढा, लोहे का बड़ा बॉक्स व घटना मे प्रयुक्त लोडर बरामद कर गिरफ्तार किया गया तथा एक बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण मे लिया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 20.10.2026 को कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि एक बड़ा बाक्स रायबरेली उन्नाव हाइवे पर हेल्थ हास्पिटल के सामने रखा हुआ है जो संदिग्ध प्रतीत होता है। इस सूचना पर तत्काल थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचे तो बाक्स को खोलकर देखा गया तो बाक्स के अन्दर एक खून से लथपथ पुरूष का शव चादर व कंबल मे लिपटा हुआ रखा था। सूचना वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ,पुलिस अधीक्षक उत्तरी व क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उन्नाव द्वारा तत्काल सर्विलांस , स्वाट टीम , कोतवाली पुलिस टीम को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुये शीघ्र ही हत्या की घटना के अनावरण हेतु आदेशित किया गया। जिसके क्रम में कोतवाली पुलिस , स्वाट टीम की 05 टीमे गठित कर घटना के आस पास के सीसीटीवी कैमरे की जांच पड़ताल की गयी तो सीसीटीवी कैमरे में एक छोटा हाथी लोडर नंबर यूपी 35 ए0टी0 1938 बडे बाक्स को गदनखेडा की तरफ से लाते हुये दिखायी दिया तथा वही छोटा हाथी वापस गदनखेडा की तरफ से कानपुर की तरफ बिना बाक्स के जाते हुये दिखायी दिया। जिससे यह स्पष्ट हो गया कि यह वही छोटा हाथी /लोडर है जिसके द्वारा उक्त बाक्स को हाइवे किनारे डाला गया है, जिसमें अज्ञात पुरूष का शव पाया गया। रास्ते के अन्य कैमरो की जांच के दौरान एनपीआर कैमरो की मदद से गाडी का स्पष्ट नंबर प्राप्त कर वाहन के पंजीकृत वाहन स्वामी के बारे मे जानकारी की गयी तो उक्त वाहन के पंजीकृत वाहन स्वामी का नाम राजेश गुप्ता पाया गया जिसपर तत्काल रवाना होकर पंजीकृत वाहन स्वामी व उसके लोडर की जानकारी के पश्चात् ज्ञात हुआ कि कंचन नगर गंगाघाट उन्नाव की रहने वाली नेहा रावत पत्नी सोनू नि0 कंचन नगर शुक्लागंज थाना

गंगाघाट जनपद उन्नाव उम्र करीब 40 वर्ष द्वारा दिनांक 20.10.2026 द्वारा अपने किराये के कमरा को खाली करने तथा अपना सामान अन्य जगह शिफ्ट करने हेतु किराये पर लोडर 1200 रूपये मे तय किया गया। लोडर चालक द्वारा भाड़ा लेकर सामान को नेहा के द्वारा बताये स्थान पर ले जाया गया। टीम द्वारा अभियुक्ता नेहा रावत को पकड़ कर गहन पूछताछ करने पर पता चला कि उसके द्वारा उसके पड़ोसी किरायेदार जितेन्द्र सिहं उर्फ राहुल पुत्र मुन्ना सिंह नि0 कंचन नगर बी शुक्लागंज थाना गंगाघाट जिला उन्नाव उम्र करीब 35 वर्ष के साथ मिलकर अपने पति सोनू की हत्या की गई तथा लाश चादर कंबल मे छिपाकर बाक्स मे रखकर कंचन नगर से गदनखेडा लाकर अपने सहयोगियो तौहीद व सहयोगी बाल अपचारी के माध्यम से रायबरेली उन्नाव हाइवे पर रोड के किनारे लाश को छिपाने के मकसद से चुपचाप रखकर बिना बताये भाग गये, ताकि मृतक सोनू व उसके बारे मे किसी को कुछ पता न चले। शव के शिनाख्त के बाद मृतक के भाई आशू पुत्र भैयालाल नि0 कंचन नगर उन्नाव की तहरीरी सूचना पर मु0अ0सं0 651/2026 धारा 103(1)/238 बीएनएस बनाम नेहा रावत व अन्य पंजीकृत किया गया ।कोतवाली पुलिस द्वारा स्वाट व सर्विलांस के मदद से तत्काल टीमे बनाकर उक्त हत्या की घटना के अभियुक्तगण नेहा रावत , तौहीद , जितेन्द्र को गिरफ्तार करते हुये तथा बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण मे लेते हुए घटना मे प्रयुक्त लोढा /बट्टा व लोडर छोटा हाथी यूपी 35 ए0टी0 1938 को बरामद किया गया। नियमानुसार विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है लोडर चालक/मालिक राजेश गुप्ता की घटना मे संलिप्तता हेतु विवेचना प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण- हत्या की उक्त घटना के बारे में मुख्य अभियुक्ता नेहा रावत पुत्री अयोध्या प्रसाद नि0 ग्राम हरौनी लखनऊ से गहन पूछताछ से पता चला कि नेहा रावत की शादी लगभग 23 वर्ष पूर्व जगदीश नि0 अटौरा मलीहाबाद लखनऊ से हुई थी। जिससे उसकी चार पुत्रिया है। करीब 7 – 8 वर्ष पूर्व नेहा सोनू के सम्पर्क में आयी तथा दोनो ने एक दूसरे से शादी कर ली एवं उनकी एक पांच वर्ष का बेटा है। शादी के पश्चात् कालान्तर में दोनो के बीच वाद विवाद व कलह बढती गयी तथा सोनू बहुत ज्यादा नशे का लती हो गया और दोनो के बीच अक्सर झगड़ा व मारपीट होने लगी। नेहा सोनू से बहुत परेशान हो गयी थी। उसने दिनांक 19/20.10.2026 की रात्रि अपने पड़ोसी जितेन्द्र के साथ मिलकर मृतक सोनू की हत्या बट्टे /लोढा से मारने के पश्चात् कंबल से नाक मुंह दबाकर कर दी , तथा शव को कमरे मे ही बंद कर दिया। जितेन्द्र द्वारा अपने जानने वाले लोडर मालिक/चालक राजेश गुप्ता को 1200 रूपये किराये पर लाकर , नेहा के जानने वाले तौहीद व सहयोगी बाल अपचारी की मदद से मृतक सोनू के शव को चादर व कंबल मे लपेटकर चुपचाप बडे लोहे के बाक्स मे रख कर उसे छिपते छिपाते कंचन नगर गंगाघाट के रास्ते लाकर दि0 20.10.2026 की रात्रि में रायबरेली उन्नाव हाइवे पर गदनखेडा के रास्ते हेल्थ हास्पिटल के विपरीत पटरी पर फेककर वहां से सभी भाग गये। इस घटना में लोडर चालक/मालिक राजेश गुप्ता पुत्र शिव प्रसाद गुप्ता नि0 कंचन नगर शुक्लागंज थाना गंगाघाट जिला उन्नाव की भूमिका की जांच की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1.जितेन्द्र सिहं उर्फ राहुल पुत्र मुन्ना सिंह नि0 कंचन नगर बी शुक्लागंज थाना गंगाघाट जिला उन्नाव उम्र करीब 35 वर्ष

2.तौहीद पुत्र शमीम उम्र 25 वर्ष नि0 सीताराम कालोनी रेलवे पुल के नीचे थाना गंगाघाट उन्नाव

3. नेहा रावत पत्नी सोनू नि0 कंचन नगर शुक्लागंज थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव उम्र करीब 40 वर्ष

एक बाल अपचारी पुलिस संरक्षण में लिया गया है।

बरामदगी का विवरण

1.एक अदद घटना मे प्रयुक्त बट्टा /लोढा
2.घटना में प्रयुक्त लोडर/छोटा हाथी सं0 यूपी 35 ए0टी0 1938
3. एक अदद लोहे का बडा बाक्स
4. अभि0 तौहीद के पास से रूपये 4000 व बाल अपचारी के पास से रू0 4200 बरामद होना।

अभियुक्त तौहीद का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 719/2025 धारा 3/25 ए एक्ट
2.मु0अ0सं0 16/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस

गिरफ्तारी मे शामिल पुलिस टीम-

प्र0नि0 श्री चन्द्र कान्त मिश्र थाना कोतवाली सदर उन्नाव
नि0अपराध नईम खां
उ0नि0 अनिल कुमार साहू
उ0नि0 अनिल कुमार सिद्धार्थ
का0 हरिओम
का0 भूपेन्द्र प्रथम
का0 महेश सिह
का0 रविन्द्र कुमार
म0का0 प्रिया यादव
म0का0 लक्ष्मी चौधरी

स्वाट टीम एवं सर्विलांस टीम, उन्नाव